उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या – 27 / 2003 / 39 / 2013

सचिव, रामगढ़ महिला महाविद्यालय बनाम् अनमोल कुमार सिंह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
[illegible]-03-2018	– आदेश –	

अभिलेख उपस्थापित। पुकार करने पर उभय पक्ष अनुपस्थित। उभय पक्ष का वाद के प्रति अरूचि एवं उदासीनता को देखते हुए अभिलेख में संलग्नक कागजातों के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

आयुक्त का न्यायालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के द्वारा जमाबन्दी पुनरीक्षण वाद सं0– 50 / 2005 सचिव, रामगढ़ महिला विद्यालय बनाम अनमोल कुमार सिंह में दिनांक 19.07.2013 को पारित आदेश के आलोक में उभय पक्ष को सूचना निर्गत करते हुए वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद में प्रश्नगत भूमि ग्राम– रामगढ़, थाना नं0– 82, खाता नं0– 02 सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा संदेहात्मक जमाबन्दी वाद सं0– 19 / 1996–97 प्रो0 अरूण कुमार बनाम श्री अशेश्वर सिंह में स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि उक्त प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण पूर्णतः अनुचित है। अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा मात्र तकनीकि आधार पर सरकारी भूमि के अवैध सृजित जमाबन्दी को कायम रखने का आदेश तथा ऐसे सरकारी भूमि में से एक हिस्सा महाविद्यालय के नाम पर हस्तनान्तरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः रामगढ़ अंचल अन्तर्गत **ग्राम– रामगढ़, थाना नं0–82, खाता नं0–02 प्लॉट नं0– 913, रकवा– 2.04 एकड़ एवं प्लॉट नं0–916, रकवा– 0.62 एकड़ भूमि की कायम जमाबन्दी को स्थगित** रखते हुए अंचल अधिकारी, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी सृजन एवं भूमि के वर्त्तमान स्वरूप की विस्तृत बिन्दुओं की जाँच करेंगे कि किस स्थिति में गैरमजरूआ भूमि पर महाविद्यालय का निर्माण किया गया है तथा जमाबन्दी अवैध पाये जाने की स्थिति में दोषी राजस्व कर्मचारी/कर्मी को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, रामगढ़, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ को अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

257/लिपि
258/लिपि
259/लिपि
दि0 03/4/18

लेखापित एवं संशोधित

23/3/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

23/3/18

उपायुक्त,
रामगढ़।